

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक: २७४६

/ FP/UK/ROAD/151113/2022 दिनांक: देहरादून: २१ मई, 2022

रेखा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्ता,
अल्मोड़ा।

विषय— जनपद—बागेश्वर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—309 ए किमी 0 133.00 से किमी 0 170.00 (बेरीनाग—चकोड़ी—काण्डा—बागेश्वर—ताकुला—अल्मोड़ा) दो लेन चौड़ीकरण हेतु 22.112 हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, को प्रत्यावर्तन।


सन्दर्भ:—आपकी पत्र संख्या—5073 / 12-1(2) दिनांक 13-05-2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण की हार्ड प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। हार्ड प्रतियों के गहन अवलोकन करने के पश्चात् निम्न प्रकार प्रस्तावों में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कमियाँ निम्न प्रकार हैं :—


1. प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट—I के पैरा-(x) में वन भूमि कितने वर्षों हेतु पत्त्यावर्तित की जा रही है, इसकी सूचना अपलोड नहीं की गयी है। कृपया सही सूचना अपलोड करने का कष्ट करें।
2. वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु श्री महेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता को अधिकृत किया गया है, इसके अतिरिक्त ऑनलाईन अपलोड प्रमाण—पत्र में उक्त हेतु श्री दीपक कुमार जोशी, सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रानीखेत को भी अधिकृत किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।
3. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले ऑनलाईन पार्ट-II, Para-5 में Working Plan की सूचना नहीं भरी गयी है। उक्त सूचना यथास्थान अपलोड करने का कष्ट करें।
4. वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित Village Level Committee में प्रत्येक ग्राम के अनाप्ति प्रमाण—पत्र भी प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
5. प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट—I के पैरा—L में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सूचना अपलोड नहीं की गयी है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण दुगने वन भूमि में करते हुये सम्बन्धित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना, क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के मानचित्र, के०एम०एल० फाईल, जी०पी०एस० कोआर्डिनेट की सूचना ऑनलाईन पार्ट—I एवं पार्ट-II में अपलोड करते हुये हार्ड प्रति में भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित होने वाले वृक्षों के प्रमाण—पत्र में वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या—6739 अंकित की गयी है, जबकि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले पार्ट-II में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या—6596 अपलोड की गयी है। कृपया प्रभावित वृक्षों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।
7. क्षतिपूरक वृक्षारोपण की DSS रिपोर्ट भी प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी/प्रभागीय वनाधिकारी को अपने स्तर से निर्देशित करते हुये (प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर) कमियों का पूर्ण निराकरण करवाकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

मवदीय,

(मयंक श्रीवास्तव)
उप वन संरक्षक

संख्या: २७४६/FP/UK/ROAD/151113/2022 दिनांकित।

1. प्रतिलिपि :— प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण कर प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।
2. प्रतिलिपि :— अधिशासी अभियन्ता, रा०रा० खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कमियों का निराकरण करने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें एवं इंगित कमियों का पूर्ण निराकरण कर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


(मयंक श्रीवास्तव)
उप वन संरक्षक

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी
उत्तराखण्ड देहरादून।

9c